वकील वादी अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 20/3/18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

20/3/18 वकील वादी उप०/ बहस वकील वादी सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-3-18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

27/3/18 वकील वादी उप०/ वकील वादी बहस पर मनन किया गया। दावा वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री
(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)
न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. मु. प्रीतम बाई पत्नी रामप्रकाश,
2. मु. संतोषी पत्नी रामराज,
3. चिरंजी पुत्र नाथ्या,

सभी जाति मीना निवासी राधेकी, तहसील बामनवास, वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बामनवास,
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, संप्रति एस.बी.आई., शाखा बामनवास प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से उसके अधिवक्ता श्री रामसिंह मीना उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद में आज दिनांक 27/3/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 776/651 रकवा 0.15 हैक्टेयर व 651 रकवा 0.14 हैक्टेयर को गैर मुमकिन चरगाह घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है कि वह इस बावत राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करते हुए, चिरंजी के नाम आराजी खसरा नम्बर 651 में आवंटन बताया गया है, उसके स्थान पर आराजी खसरा नम्बर 650 को उसकी खातेदारी में दर्ज करें तथा वादिया संख्या 1 प्रीतम बाई पत्नी रामप्रकाश व संतोषी पत्नी रामराज के हिस्से में 0.15 हैक्टेयर तथा चिरंजी के हिस्से

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

में 0.14 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज कराये । प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजियात् में वादीगण के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में वादीगण को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे, डिक्री तदनुसार तैयार की जावे । खर्चे बावत किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 27.3.2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड जिला कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	